

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रं. 1, सागर (म.प्र.)

☎ : 07582-223809 ( सिविल कोर्ट के पास ) सागर (म.प्र.) पिन कोड - 470001

E-mail - eewrdno1sgr@gmail.com.

पत्र क्र० 3506 / कार्य / 2023-24  
प्रति,

सागर, दिनांक: 20 / 10 / 2023

वन मंडल अधिकारी,  
दक्षिण वन मंडल सागर

- विषय:- जिला सागर के अंतर्गत आपचंद मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु 181.39 हे. (ऑनलाइन रकवा 182.16 हे.) वन भूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने बाबत ।
- सन्दर्भ:-
1. भारत सरकार, पर्यायवरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक 8-20/2022-FC दिनांक 21.08.2023 ।
  2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष-भू प्रबंध), सतपुड़ा भवन मध्य प्रदेश भोपाल का पत्र क्र एफ-3/101/2021/10-11/12/3782 भोपाल दिनांक 22.08.2023 ।
  3. अ.वि.अ. जल संसाधन उपसंभाग क्र.3 गढ़ाकोटा का पत्र क्र.237/अनु.लि./2023 दिनांक - 18/10/23


-----000-----

उपरोक्त संदर्भित विषयान्तर्गत आपचंद मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु 181.39 हे. (ऑनलाइन रकवा 182.16 हे.) की स्टेज-1 वन स्वीकृति उपरान्त स्टेज-2 वन स्वीकृति हेतु अधिरोपित शर्तों का पालन प्रतिवेदन तैयार कर आपकी ओर प्रेषित ।


सहपत्र- पालन प्रतिवेदन

पृष्ठांकन क्र० 3506-A / कार्य / 2023-24  
प्रतिलिपि-

- 1- प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष-भू प्रबंध), सतपुड़ा भवन मध्य प्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 2- अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग क्र.3 गढ़ाकोटा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

  
(अखिल बिरथरे)  
कार्यपालन यंत्री  
जल संसाधन संभाग क्र. 1,  
सागर (म.प्र.)

सागर दिनांक 20 / 10 / 2023

  
(अखिल बिरथरे)  
कार्यपालन यंत्री  
जल संसाधन संभाग क्र. 1,  
सागर (म.प्र.)

कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्रमांक-01 सागर जिला सागर द्वारा आपचंद मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु 181.39 हे. भूमि उपयोग हेतु की प्रथम चरण की स्वीकृति उपरांत पालन प्रतिवेदन

स. क्र.	अधिसोपित शर्तों का विवरण	शर्तों का पालन प्रतिवेदन रिपोर्ट	रिमार्क
1	2	3	4

**A: Conditions required to be complied prior to handing over of forest land by the State Forest Department and compliance to be submitted prior to Stage-II approval:-**

1	The user agency has submitted the proposal for diversion of 182.16 ha, however the State Government has recommended only 181.39 ha for diversion. The revised component wise breakup and layout of the 181.39 ha forest land shall be submitted prior to Stage-II approval.	शर्त क्र. A1 के पालन में 181.39 हेक्टेयर वन भूमि का संशोधित component wise breakup एवं layout Stage-II अनुमोदन से पहले क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल एवं नोडल कार्यालय भोपाल के निर्देश अनुसार परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दिया जायेगा।	-
2	The plantations affected by the project shall be carried out by the State Government at other suitable locations at the cost of the user agency. A detailed scheme in this regard shall be submitted by the State Government, with the money deposited, KML files and site suitability certificate given by the Nodal officer along with the compliance report of Stage-I.	शर्त क्र. A2 के पालन करने के लिए यूजर एजेंसी वचनबद्ध है।	वचन पत्र संलग्न है।
3	The User Agency shall transfer the cost of raising and maintaining the compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in consultation with State Forest Department in the account of CAMPA of the concerned State through online portal. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.	यह कार्य वन विभाग द्वारा किया जावेगा। आवेदक संस्था द्वारा 182.16 हेक्टेयर वन भूमि के बदले में जिला सागर तहसील देवरी के ग्राम रामपुरा(मडाज) खसरा न. 2,3 कुल 127.57 हे एवं जिला सागर तहसील सागर के ग्राम गुरैया खसरा न. 590/2, 593, 594 कुल 54.59 हे गैर वनभूमि वन विभाग को हस्तान्तरित की गयी है। वन विभाग द्वारा तैयार की गयी वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना हेतु राशि प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध), सतपुड़ा भवन भोपाल के मांग पत्र अनुसार CA राशि 11,83,29,095/- ई-पोर्टल के माध्यम से Online चालान Generate कर केम्पा मद में जमा की गई है। ई-चैक क्रमांक W330562710 दिनांक 29/08/2023 से भुगतान किया गया।	ई-चैक संलग्न है।
4	The User Agency shall transfer online, the Net Present Value (NPV) of the forest land being diverted under this proposal, as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 28.03.2008, 24.04.2008 and 09.05.2008 in Writ Petition (Civil) No. 202/1995 and the guidelines issued by this Ministry vide its letter No. 5-3/2007- FC dated 05.02. 2009. The requisite funds shall be transferred through online portal into CAMPA account of the State Concerned.	शर्त क्र A4 के पालन में आवेदक संस्था द्वारा 181.39 हे0 वन भूमि की प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध), सतपुड़ा भवन भोपाल के मांग पत्र अनुसार NPV राशि 17,37,31,714/- ई-पोर्टल के माध्यम से Online चालान Generate कर केम्पा मद में जमा की गई है। ई-चैक क्रमांक W330562710 दिनांक 29/08/2023 एवं ई-चैक क्रमांक W330562739 दिनांक 11/10/2023 से भुगतान किया गया।	ई-चैक संलग्न है।
5	The Copy of approved Catchment Area Treatment (CAT) Plan shall be submitted and the commensurate cost of CAT plan shall be deposited in the CAMPA account through online portal.	शर्त क्र A5 के पालन में आवेदक संस्था द्वारा Catchment Area Treatment (CAT) Plan पूर्व में प्रेषित किया जा चुका है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध), सतपुड़ा भवन भोपाल के मांग पत्र अनुसार राशि 1,42,27,000/- ई-पोर्टल के माध्यम से Online चालान Generate कर केम्पा मद में जमा की गई है। ई-चैक क्रमांक W330562710 दिनांक 29/08/2023 से भुगतान किया गया।	ई-चैक संलग्न है।


6	The cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department.	शर्त क्र. A6 के पालन करने के लिए यूजर एजेंसी वचनबद्ध है।	वचन पत्र संलग्न है।
7	The identified non-forest land for raising compensatory afforestation shall be transferred and mutated in the name of forest department and notified as Reserved Forest /Protected Forest prior to Stage-II approval. A copy of the original notification declaring the non-forest land under Section 4 or Section 29 of the Indian Forest Act, 1927, or under the relevant section of the State Forest Act as the case may be, will be submitted by the State Government prior to State-II approval.	शर्त क्र. A7 के पालन में 182.16 हेक्टेयर वन भूमि के बदले में कलेक्टर सागर के आदेश पारित दिनांक 12.03.2020 द्वारा जिला सागर तहसील देवरी के ग्राम रामपुरा(मडाज) खसरा न. 2,3 कुल 127.57 हे एवं कलेक्टर सागर के आदेश क्र. 10977/री.कले./2021 सागर दिनांक 12.11.2021 द्वारा जिला सागर तहसील सागर के ग्राम गुरैया खसरा न. 590/2, 593, 594 कुल 54.59 हे गैर वनभूमि वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित कर वन विभाग के अधिपत्य में सौंप दी की गई है।	ग्राम गुरैया में खसरा न. 590/2, 593, 594 की कुल 70.43 हे गैर वनभूमि वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित की गई थी जिससे कुल 54.59 हे. भूमि वन विभाग द्वारा आपवाद मध्यम परियोजना के वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त पाकर अधिपत्य में लिया गया है। (सम्बंधित पत्र संलग्न हैं।)
8	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	FRA, 2006 अनुपालन पूर्व में ही पूर्ण किया जा चुका है।	FRA प्रमाण पत्र संलग्न है।
9	The State Government shall upload the KML files of the area under diversion and the accepted area for raising compensatory afforestation in the E-green watch portal of FSI, before handing over forest land to the user agency.	शर्त क्र. A9 के पालन करने के लिए यूजर एजेंसी वचनबद्ध है।	वचन पत्र संलग्न है।
10	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/ deposited in CAMPA account only through e-portal ( <a href="https://parivesh.nic.in/">https://parivesh.nic.in/</a> ). Amount deposited through other mode will not be accepted as compliance of the Stage-I clearance.	शर्त क्र. A10 के पालन करने के लिए यूजर एजेंसी वचनबद्ध है।	वचन पत्र संलग्न है।
11	The compliance report shall be uploaded on e-portal ( <a href="https://parivesh.nic.in/">https://parivesh.nic.in/</a> ).	शर्त क्र. A11 के पालन करने के लिए यूजर एजेंसी वचनबद्ध है।	वचन पत्र संलग्न है।

**B: Conditions which need to be complied on field after handing over of forest land to the user agency by the State Forest Department but the compliance in form of undertaking is to be submitted prior to Stage-II approval:-**

1	Legal status of the diverted forest land shall remain unchanged.	शर्त क्र. B1 के पालन करने के लिए यूजर एजेंसी वचनबद्ध है।	वचन पत्र संलग्न है।
2	Forest land will be handed over only after required non-forest land in the project is obtained by the user agency.	शर्त क्र. B2 के पालन करने के लिए यूजर एजेंसी वचनबद्ध है।	वचन पत्र संलग्न है।
3	At the time of payment of the Net Present Value (NPV) at the then prevailing rate, the User Agency shall furnish an undertaking to pay the additional amount of NPV, if so determined, as per the final decision of the Hon'ble Supreme Court of India.	शर्त क्र. B3 के पालन करने के लिए यूजर एजेंसी वचनबद्ध है।	वचन पत्र संलग्न है।
4	The felling of trees shall be restricted to FRL-4 meter only. Number of trees to be removed shall be kept as barest minimum during the execution of project.	शर्त क्र. B4 के पालन करने के लिए यूजर एजेंसी वचनबद्ध है।	वचन पत्र संलग्न है।

5	The R&R Plan shall be implemented as per the R&R Policy of State Government in consonance with National R&R Policy, Government of India before the commencement of the project work and implementation. The said R&R Plan will be monitored by the State Government/Regional Office of MOEF&CC along with indicators for monitoring and expected observable milestones.	शर्त क्र. B5 के पालन करने के लिए यूजर एजेंसी वचनबद्ध है।	R&R Policy आयुक्त सागर संभाग द्वारा दिनांक 07/03/2023 को अनुमोदित की जा चुकी है।
6	The User Agency shall obtain the Environment Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if required.	शर्त क्र. B6 के पालन करने के लिए यूजर एजेंसी वचनबद्ध है।	पर्यावरणीय स्वीकृति प्रकरण प्रस्ताव क्र <b>SIA/MP/RIV/4 42654/2023</b> प्रक्रियाधीन(वचन पत्र संलग्न है।)
7	The User Agency shall undertake afforestation along the periphery of the reservoir.	शर्त क्र. B7 के पालन करने के लिए यूजर एजेंसी वचनबद्ध है।	वचन पत्र संलग्न है।
8	No labour camp shall be established on the forest land and the User Agency shall provide fuels preferably alternate fuels to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas.	शर्त क्र. B8 के पालन करने के लिए यूजर एजेंसी वचनबद्ध है।	वचन पत्र संलग्न है।
9	The boundary of the diverted forest land, shall be demarcated on ground at the project cost, by erecting four feet high reinforced cement concrete pillars, each inscribed with its serial number, distance from pillar to pillar and GPS coordinates.	शर्त क्र. B9 के पालन करने के लिए यूजर एजेंसी वचनबद्ध है।	वचन पत्र संलग्न है।
10	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agency, department or person without prior approval of the Central Government.	शर्त क्र. B10 के पालन करने के लिए यूजर एजेंसी वचनबद्ध है।	वचन पत्र संलग्न है।
11	No damage to the flora and fauna of the adjoining area shall be caused.	शर्त क्र. B11 के पालन करने के लिए यूजर एजेंसी वचनबद्ध है।	वचन पत्र संलग्न है।
12	Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the user agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.	शर्त क्र. B12 के पालन करने के लिए यूजर एजेंसी वचनबद्ध है।	वचन पत्र संलग्न है।
13	The layout plan of the proposal shall not be changed without the prior approval of the Central Government.	शर्त क्र. B13 के पालन करने के लिए यूजर एजेंसी वचनबद्ध है।	वचन पत्र संलग्न है।
14	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.	शर्त क्र. B14 के पालन करने के लिए यूजर एजेंसी वचनबद्ध है।	वचन पत्र संलग्न है।
15	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.	शर्त क्र. B15 के पालन करने के लिए यूजर एजेंसी वचनबद्ध है।	वचन पत्र संलग्न है।
16	The user agency in consultation with the State Government shall create and maintain alternate habitat/home for the avifauna, whose nesting trees are to be cleared in this project. Bird's nests artificially made out of eco-friendly material shall be used in the area, including forest area and human settlements, adjoining the forest area being diverted for the project.	शर्त क्र. B16 के पालन करने के लिए यूजर एजेंसी वचनबद्ध है।	वचन पत्र संलग्न है।

17	The concerned Divisional Forest Officer, will monitor and take necessary mitigative measures to ensure that there is no adverse impact on the forests in the surrounding area.	शर्त क्र. B17 वन विभाग से सम्बंधित है।	
18	The User Agency shall restrict the felling of trees to minimum numbers in the diverted forest land and trees shall be felled under strict supervision of the State Forest Department.	शर्त क्र. B18 के पालन करने के लिए यूजर एजेंसी वचनबद्ध है।	वचन पत्र संलग्न है।
19	The user agency shall explore the possibility of translocation of maximum number of trees identified to be felled and shall ensure that any tree felling shall be done only when it is unavoidable and that too under strict supervision of the State Forest Department.	शर्त क्र. B19 के पालन करने के लिए यूजर एजेंसी वचनबद्ध है।	वचन पत्र संलग्न है।
20	The User Agency shall submit the annual self - compliance report in respect of the above stated conditions to the State Government, concerned Integrated Regional Office and to this Ministry by the end of March every year regularly.	शर्त क्र. B20 के पालन करने के लिए यूजर एजेंसी वचनबद्ध है।	वचन पत्र संलग्न है।
21	The user agency shall comply all the provisions of the all Acts, Rules, Regulations, Guidelines, Hon'ble Court Order (s) and NGT Order (s) pertaining to this project, if any, for the time being in force, as applicable to the project.	शर्त क्र. B21 के पालन करने के लिए यूजर एजेंसी वचनबद्ध है।	वचन पत्र संलग्न है।
22	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F. No. 11-42/2017-FC dated 29/01/2018.	शर्त क्र. B22 के पालन करने के लिए यूजर एजेंसी वचनबद्ध है।	वचन पत्र संलग्न है।
23	Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife. After receipt of compliance report on fulfilment of the conditions mentioned above, the proposal shall be considered for final approval under Section-2 of the Forest (Conservation) Act, 1980. Transfer of forest land shall not be affected till final approval is granted by the Central Government in this regard.	शर्त क्र. B23 के पालन करने के लिए यूजर एजेंसी वचनबद्ध है।	वचन पत्र संलग्न है।

  
 (Akhil Birthare)  
**Executive Engineer**  
 Water Resources Dn. No. 1  
 Sagar (M.P.)

**OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER,**  
**WATER RESOURCES DIVISION NO. 1 SAGAR (M.P.)**

Near Civil Court Sagar Ph. 07582-223809 E-mail: [ewrдно1sgr@gmail.com](mailto:ewrдно1sgr@gmail.com)

---

**UNDERTAKING**

User agency undertakes that the plantations affected by the project shall be carried out by the State Government at other suitable locations at the cost of the user agency.



(Nishesh Goswami)

**Sub Divisional Officer**

Water Resources Sub Dn. NO.3  
Garhakota, Sagar (M.P.)



(Akhil Birthare)

**Executive Engineer**

Water Resources Dn. No. 1  
Sagar (M.P.)

**Payment Order List**  
**E.E.WATER RESOURCES DIV.NO.1 SAGAR**

Date From: 01/08/2023 To: 31/08/2023

DDO Code: 3303102002 : E.E.WATER RESOURCES DIV.NO.1 SAGAR

Logged In User: Mr. DEVENDRA PRASAD MISHRA(Assistant Grade III)

Server Name: DCDBSRV3\_Managed\_4

Report Generated Time: 20/10/2023 12:46:30

S.No	Party Code	Party Name	Voucher No	Date of Payment	Amount Paid	IFSC Code	Account No	Payment Mode	Bill Ref No	Advice No	Cheque No	ERLE No	UTR NO
3303102002 : E.E.WATER RESOURCES DIV.NO.1 SAGAR >> UNION BANK OF INDIA >> FCS BANGALORE													
1	2000271966211	MADHYA PRADESH CAMPA	3304701/082023-240013	29/08/2023	16,55,99,952.00	UBIN0996335	150765743200816	E-Payment	WorkID/200016393058	3303102002/082023-24/EO184	W330562710	RBL_330_000298_29082023	RBLD42345874032
<b>Total</b>					<b>16,55,99,952.00</b>								
<b>Total</b>					<b>16,55,99,952.00</b>								

## AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India



## NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 28-08-2023

Agency Name.	WATER RESOURCES DIVISION NO ONE SAGAR
Application No.	5743200816
MoEF/SG File No.	8-20/2022-FC
Location.	MADHYA PRADESH
Address.	Water resources division no 1 sagar (M.P)Sagar
Amount(in Rs)	165599952/-

Amount in Words :Sixteen Crore Fifty-Five Lakh Ninety-Nine  
Thousand Nine Hundred and Fifty-Two Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following  
details;

Beneficiary Name:	MADHYA PRADESH CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150765743200816 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making  
payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

## BANK COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India



## NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 28-08-2023

Agency Name.	WATER RESOURCES DIVISION NO ONE SAGAR
Application No.	5743200816
MoEF/SG File No.	8-20/2022-FC
Location.	MADHYA PRADESH
Address:	Water resources division no 1 sagar (M.P) Sagar
Amount(in Rs)	165599952/-

Amount in Words :Sixteen Crore Fifty-Five Lakh Ninety-Nine  
Thousand Nine Hundred and Fifty-Two Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following  
details;

Beneficiary Name:	MADHYA PRADESH CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150765743200816 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making  
payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note:After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated  
even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference  
id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epruse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank

Print

Back



**Payment Order List**  
**E.E.WATER RESOURCES DIV.NO.1 SAGAR**

Date From: 01/10/2023 To : 30/10/2023

DDO Code: 3303102002 : E.E.WATER RESOURCES DIV.NO.1 SAGAR

Logged In User: Mr. DEVENDRA PRASAD MISHRA(Assistant Grade III)

Server Name: DCDBSRV3\_Managed\_4

Report Generated Time: 20/10/2023 12:42:06

Sl.No	Party Code	Party Name	Voucher No	Date of Payment	Amount Paid	IFSC Code	Account No	Payment Mode	Bill Ref No	Advice No	Cheque No	Erff No	LTR NO
3303102002 : E.E.WATER RESOURCES DIV.NO.1 SAGAR >> UNION BANK OF INDIA >> FCS BANGALORE													
1	2000273576795	MADHYA PRADESH CANRA	3304/701 /102023-24/0003	11/10/2023	14,06,87,857.00	UBIN0996335	150765743200757	E-Payment	WorkID/200016735129	3303102002/102023-24 /E0088	W330562739	RBI_330_000416_12102023	RR12862332434677
<b>Total</b>					<b>14,06,87,857.00</b>								
<b>Total</b>					<b>14,06,87,857.00</b>								

AGENCY COPY

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया  
Union Bank of India



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 10-10-2023

Agency Name.	WATER RESOURCES DIVISION NO ONE SAGAR
Application No.	5743200757
MoEF/SG File No.	8-20/2022-FC
Location.	MADHYA PRADESH
Address.	Water resources division no 1 sagar (M.P)Sagar
Amount(in Rs)	140687857/-

Amount in Words :Fourteen Crore Six Lakh Eighty-Seven  
Thousand Eight Hundred and Fifty-Seven Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following  
details;

Beneficiary Name:	MADHYA PRADESH CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150765743200757 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making  
payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया  
Union Bank of India



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 10-10-2023

Agency Name.	WATER RESOURCES DIVISION NO ONE SAGAR
Application No.	5743200757
MoEF/SG File No.	8-20/2022-FC
Location.	MADHYA PRADESH
Address:	Water resources division no 1 sagar (M.P) Sagar
Amount(in Rs)	140687857/-

Amount in Words :Fourteen Crore Six Lakh Eighty-Seven  
Thousand Eight Hundred and Fifty-Seven Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following  
details;

Beneficiary Name:	MADHYA PRADESH CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150765743200757 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making  
payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note:After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated  
even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference  
id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank

Print

Back

**OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER,**  
**WATER RESOURCES DIVISION NO. 1 SAGAR (M.P.)**

Near Civil Court Sagar Ph. 07582-223809 E-mail:ee wrdno1sgr@gmail.com

---

**UNDERTAKING**

User Agency undertakes to bear the cost of felling of trees.

  
(Nishesh Goswami)

**Sub Divisional Officer**  
Water Resources Sub Dn. NO.3  
Garhakota, Sagar (M.P.)

  
(Akhil Birthare)

**Executive Engineer**  
Water Resources Dn. No. 1  
Sagar (M.P.)

## न्यायालय कलेक्टर सागर, जिला सागर

रा.प्र.कमांक- 0006 अ/20(3) वर्ष 2021-22

मौजा- गुरैया प.ह.नं. 122

तहसील सागर जिला सागर (म.प्र.)

कार्यपालन यंत्री

जल संसाधन संभाग कमांक 1, सागर  
विरुद्ध

आवेदक

म.प्र.शासन

अनावेदक

**!! आदेश !!**

(पारित दिनांक 12/11/2021)

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन कमांक-1 सागर द्वारा आपचंद मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित वन भूमि के बदले वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु समतुल्य मौजा गुरैया प.ह.नं. 122 तहसील सागर स्थित राजस्व भूमि ख.नं. 590 रकबा 37.100 हे. में से 12.300 हे., ख.नं. 593 रकबा 40.000 हे., ख.नं. 594 रकबा 18.130 हे. कुल रकबा 70.430 हे. भूमि वन मण्डल अधिकारी, दक्षिण वनमंडल सागर को आबंटित किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। जिसे जांच प्रतिवेदन हेतु अनुविभागीय अधिकारी सागर को भेजा गया।

अनुविभागीय अधिकारी सागर द्वारा प्रकरण नायब तहसीलदार सुरखी को प्रतिवेदन हेतु भेजा गया। नायब तहसीलदार सुरखी द्वारा प्रकरण कमांक 0001 अ/20(3) वर्ष 2021-22 पंजीबद्ध किया जाकर हल्का पटवारी से जांच प्रतिवेदन लिया गया। हल्का पटवारी के प्रतिवेदन अनुसार आपचंद मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित वन भूमि के बदले वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु समतुल्य मौजा गुरैया प.ह.नं. 122 तहसील सागर स्थित राजस्व भूमि ख.नं. 590 रकबा 37.100 हे. में से 12.300 हे., ख.नं. 593 रकबा 40.000 हे., ख.नं. 594 रकबा 18.130 हे. कुल रकबा 70.430 हे. भूमि वन मण्डल अधिकारी, दक्षिण वनमंडल सागर को आबंटित किये जाने के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई। मौजा गुरैया का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 796.73 हे., ग्राम का कुल खाते का क्षेत्रफल 516.36 हे., ग्राम का कुल गैर खाते का क्षेत्रफल 280.37 हे., ग्राम का कुल चरनाई का रकबा 129.57 हे., ग्राम में चरनाई का 2 प्रतिशत का सुरक्षित रकबा 2.59 हे. से ग्राम 2 प्रतिशत चरनाई का सुरक्षित रकबा रखने के बाद शेष रकबा 126.98 हे. है। नायब तहसीलदार सुरखी द्वारा आपचंद मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित वन भूमि के बदले वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु समतुल्य मौजा गुरैया प.ह.नं. 122 तहसील सागर स्थित राजस्व भूमि ख.नं. 590 रकबा 37.100 हे. में से 12.300 हे., ख.नं. 593 रकबा 40.000 हे., ख.नं. 594 रकबा 18.130 हे. कुल रकबा 70.430 हे. भूमि वन मण्डल अधिकारी, दक्षिण वनमंडल सागर को आबंटित किये जाने हेतु प्रकरण अग्रिम कार्यवाही हेतु अनुविभागीय अधिकारी सागर को प्रेषित किया गया। अनुविभागीय अधिकारी सागर द्वारा दिनांक 05.10.2021 को प्रकरण में प्रतिवेदन लिखा जाकर इस न्यायालय को भेजा गया है।

प्रकरण न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रकरण नजूल निर्वर्तन समिति के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु नजूल अधिकारी सागर को प्रेषित किया गया।

नजूल अधिकारी सागर द्वारा प्रतिवेदन दिनांक 29.10.2021 में प्रतिवेदित किया गया कि जिला स्तरीय नजूल निर्वर्तन समिति की बैठक दिनांक 28.10.2021 में सर्व सम्मति से अनुविभागीय अधिकारी सागर/ नायब तहसीलदार सुरखी से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार मौजा गुरैया प.ह.नं. 122 तहसील सागर स्थित राजस्व भूमि ख.नं. 590 रकबा 37.100 हे. में से 12.300 हे., ख.नं. 593 रकबा 40.000 हे., ख.नं. 594 रकबा 18.130 हे. कुल रकबा

P.T.O.

कलेक्टर  
सागर

//2//

70.430 हे. भूमि, भूमि म.प्र.नजूल निर्वर्तन नियम 2020 लागू दिनांक 24.09.2020 कंडिका 17 के अनुसार - राज्य शासन के किसी विभाग को हस्तांतरित की गई नजूल भूमि के संबंध में कोई निर्धारण नहीं होने से वन मण्डल अधिकारी, दक्षिण वन मण्डल सागर के नाम से भूमि आबंटन किये जाने हेतु प्रस्तावित किया गया।

अतः नायब तहसीलदार सुरखी, अनुविभागीय अधिकारी सागर एवं नजूल अधिकारी सागर के प्रस्ताव पर मौजा गुरैया प.ह.नं. 122 तहसील सागर जिला सागर की निम्नानुसार भूमि :-

स. क.	ग्राम का नाम	पटवारी हल्का नं.	ख0नं0	कुल रकवा (हे.मे)	आबंटित रकवा (हे.मे)	मद
01	गुरैया	122	590	37.100	12.300	शासकीय चारागाह
			593	40.000	40.000	शासकीय चारागाह
			594	18.130	18.130	शासकीय चरोखर
योग			95.230	70.430		

म.प्र.भू-राजस्व संहिता 1959 (यथा संशोधित अधिनियम 2018) की धारा 237(3) के तहत मद परिवर्तन करते हुए म.प्र.नजूल निर्वर्तन नियम 2020 लागू दिनांक 24.09.2020 कंडिका 17 के अनुसार - राज्य शासन के किसी विभाग को हस्तांतरित की गई नजूल भूमि के संबंध में कोई निर्धारण नहीं होने से आपचंद मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित वन भूमि के बदले वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु समतुल्य उक्त भूमि वन मण्डल अधिकारी, दक्षिण वनमंडल सागर (म.प्र. शासन वन विभाग) को आबंटित की जाती है।

उक्त भूमि के हस्तांतरण से ग्राम का आम निस्तार का रकवा अप्रभावित रहेगा। हस्तांतरित भूमि का नियत प्रयोजन में उपयोग न होने पर पूर्ण अथवा आंशिक भूमि वापिस ली जा सकेगी।

(दीपक आर्ष)

कलेक्टर

जिला-सागर

सागर दिनांक 12/11/2021

पृ0क0/122/री0कले0/2021

प्रतिलिपि:-

1. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन क्रमांक-1 सागर की ओर सूचनार्थ।
2. वन मण्डल अधिकारी, दक्षिण वन मण्डल सागर की ओर सूचनार्थ।
3. नजूल अधिकारी सागर को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर जिला सागर को मूल प्रकरण सहित प्रेषित आदेशानुसार पटवारी अभिलेख में दुरुस्ती कराये जाने तथा हस्तांतरित भूमि का अधीपत्य दिलाये जाने तथा संशोधित अभिलेख की प्रमाणित प्रति तथा अधिपत्य दिलाये जाने का पंचनामा सहित प्रकरण अतिशीघ्र इस न्यायालय को वापिस भेजने हेतु।
5. अधीक्षक भू-अभिलेख सागर जिला सागर को सूचनार्थ।
6. नायब तहसीलदार सुरखी को आदेशानुसार कार्यवाही हेतु।

(दीपक आर्ष)

कलेक्टर



खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

ग्राम: गुरैया		पटवारी हल्का: गुरैया			तहसील: सागर			जिला: सागर		वर्ष: 2023-2024	
भूमि के भाग की यूनिट आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक (ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम उसकी माता/पिता/मति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के बौरे		1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्राप्ति 2. भूमि पर संरचना / वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
									फसल	फसल के अधीन क्षेत्रफल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1533149021 81KE6ADBZTAJH0	590/2 (S)		12.3000 हेक्टेयर  रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0006/अ-20(3)/2021-22, आदेश दि. 12/11/2021 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित।

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
3. डिजिटली साईड कोपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।

प्रिंट



खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

ग्राम: गुरैया			पटवारी हल्का: गुरैया			तहसील: सागर			जिला: सागर		वर्ष: 2023-2024
भूमि के भाग की यूनिट आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक (ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-भाटक (रु में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुबी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिवंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के बोरे फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रसिद्धि 2. भूमि पर उत्तरचना/वृक्ष 3. अन्य अभिव्यक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1379130333 81KCM3DBP0QTH0	593 (S)		40.0000 हेक्टेयर  चरागाह 40  रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय क्लेकटर के पत्राकरण क्र. 0006/अ-20(3)/2021-22, आदेश दि. 12/11/2021 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित ।  श्रीमान कले.सहो.सागर के प्र.क्र.26 आ.के अनुसार पृथक की गई

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है ।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है ।
3. डिजिटली साईड कोपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें ।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें ।

मि.



खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

ग्राम: गुरैया			पटवारी हल्का: गुरैया		तहसील: सागर			जिला: सागर		वर्ष: 2023-2024	
भूमि के भाग की यूनिट आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक (ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-भाटक (रु में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौजूबी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिवाइ संबंधी प्राप्ति 2. भूमि पर खरचशा/वृक्ष 3. अन्य अभिव्यक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1379377517 81KFAGDBP471H0	594 (S)		18.1300 हेक्टेयर  चरागाह 18.13  रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्य प्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0006/अ-20(3)/2021-22, आदेश दि. 12/11/2021 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित।  चरोखर

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
3. डिजिटली साईड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।

प्रिंट





**खसरा**

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

शाम-मंदाज	पटवारी हत्का: चक्कापीपला			तहसील: देवरी			जिला: सागर		वर्ष: 2023-2024			
	भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक (ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-भाटकर रू. में	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौजूबी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि घर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे फसल फसल अर्धन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्राप्ति 2. भूमि पर संरचना / वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1002249731 81CF18DC4CHDH0	2 (S)		28.3300 हेक्टेयर  चरागाह 28.33  रू.0.00									जि.प.के अनुसार चरोखर न्यायालय कलेक्टर महो. जिला सागर के आदेश क्रमांक 8495/री. कले./17 सागर दिनांक 10.07.2017 के अनुसार यह भूमि मध्य प्रदेश शासन वन विभाग को हस्तांतरित की जाती है। न्यायालय कलेक्टर महो. जिला सागर के आदेश क्रमांक/8697/री. कले./17 सागर दिनांक 22.07.2017 के अनुसार यह भूमि कोपरा माध्यम सिंचाई परियोजना के वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु उपयोग में लाये जाने हेतु आरक्षित की जाती है।

- नोट :-
1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है।
  2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
  3. डिजिटली साईड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें।
  4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।



खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

भूमि के भाग की यूनिट संख्या	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	पटवारी हल्का: चक्कपीपला		प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	तहसील: देवरी			जिला: सागर		वर्ष: 2023-2024								
			1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में)	2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है		1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	2. शासकीय भूमि	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	2. पट्टे की अवधि	3. पट्टे के अधीन क्षेत्र		मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार	फसल के ब्यौरे	1. बंधक	2. ट्टिबंधक	3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे	1. खरीफ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
1003762012	3 (S)		107.8400 हेक्टेयर									नि.प.के अनुसार पहाड चट्टान न्यायालय कलेक्टर महो. जिला सागर के आदेश क्रमांक 8495/री. कले./17 सागर दिनांक 10.07.2017 के अनुसार यह भूमि मध्य प्रदेश शासन वन विभाग को हस्तांतरित की जाती है। न्यायालय कलेक्टर महो. जिला सागर के आदेश क्रमांक/8697/री. कले./17 सागर दिनांक 22.07.2017 के अनुसार यह भूमि कोपरा माध्यम सिंचाई परियोजना के वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु उपयोग में लाये जाने हेतु आरक्षित की जाती है।							
81CDUJDC4ZMZH0			पहाड 107.8400																
			रु.0.00																

नोट :-

1. यह पत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।

# न्यायालय कलेक्टर सागर जिला सागर

प्रकरण क्र. 12/19(3) वर्ष 2019-20  
ग्राम मन्दाज प.ह.नं. 53  
तहसील देवरी जिला सागर (म.प्र.)

कार्यपालन यंत्री  
जल संचायन सभाग क्रमांक-01 सागर  
जिला सागर (म.प्र.)  
विक्रय  
म.प्र.शासन

आवेदक

अनावेदक

## आदेश :-

(पारित दिनांक 12/3/2020)

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि तहसील देवरी जिला सागर का प्रकरण क्रमांक-1742 सी/121 वर्ष 2019-20 बीजा मन्दाज प.ह.नं. 53 तहसील देवरी, म.प्र. विभाग को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु भूमि आवंटित किये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी देवरी के माध्यम से प्राप्त हुआ।

प्रकरण का अवलोकन किया गया। तहसीलदार देवरी द्वारा यह प्रकरण न्यायालय के पत्र क्रमांक-896/सी.के./2019 सागर दिनांक 07.11.19 के संभव में दर्ज कर प्रकरण में इस्तहार जारी कर आपत्तियां आमंत्रित की गई। ग्राम पंचायत से प्रस्ताव लिया गया पटवारी से रिपोर्ट मंगाई गई। तहसीलदार देवरी द्वारा प्रकरण में उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण कर प्रतिवेदन दिनांक 26.02.2020 को तैयार कर ग्राम मन्दाज प.ह.नं. 53 ख.नं. 2 रकबा 28.33 हे. में से 19.73 हे. एवं ख.नं. 3 रकबा 107.84 हे. कुल रकबा 127.57 हे. भूमि आपसद मध्यम परियोजना के वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवंटित की जाना सविन्य एवं आदेश दिनांक 22.07.2017 के द्वारा आरक्षित कुल भूमि 437.57 हे. में से रोप भूमि रकबा 310.00 हे. कोपरा मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु रोप रहेगी प्रस्तावित कर प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी देवरी को भेजा गया। अनुविभागीय अधिकारी देवरी द्वारा तहसीलदार के प्रतिवेदन दिनांक 26.02.2020 से सहमत होकर ख.नं. 02 रकबा 28.33 हे. में से 19.73 हे. एवं ख.नं. 03 रकबा 107.84 हे. कुल रकबा 127.57 हे. भूमि आपसद मध्यम परियोजना के वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवंटित किए जाने एवं आदेश दिनांक 22.07.17 के द्वारा आरक्षित कुल भूमि रकबा 437.57 हे. में से रोप रहे रकबा 310.00 हे. भूमि को कोपरा मध्यम सिंचाई परियोजना के वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु रोप रहे जाना प्रस्तावित कर प्रकरण इस न्यायालय को भेजा गया।

अतः तहसीलदार/अनुविभागीय अधिकारी देवरी के प्राप्त प्रस्ताव पर ग्राम मन्दाज प.ह.नं. 53 तहसील देवरी की निम्नानुसार भूमि :-

क्र.	ग्राम का नाम	प.ह.नं.	ख.नं.	कुल रकबा (हे.ने)	आरक्षित रकबा (हे.ने)	मद
01	मन्दाज	53	2	28.33	19.73	बारागाह शासकीय
			3	107.84	107.84	पहाड़ शासकीय
कुल रकबा					127.57	

का म.प्र.भू.संहिता 1959 (यथा संशोधित 2018) की धारा 237(3) के तहत मद परिवर्तन करते हुए कुल 127.57 हे. भूमि आपसद मध्यम परियोजना के वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आरक्षित की जाती है एवं प्रस्ताव अनुसार आदेश दिनांक 22.07.17 के द्वारा आरक्षित कुल भूमि रकबा 437.57 हे. में से 310.00 हे. भूमि कोपरा मध्यम सिंचाई परियोजना के वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु रोप रहेगी।

उक्त भूमि के आरक्षण से ग्राम का आम निस्तार का रकबा अप्रभावित रहेगा। आरक्षित भूमि को नियत प्रयोजन में उपयोग न होने पर पूर्ण अथवा आंशिक भूमि वापिस ली जा सकेगी।

कलेक्टर  
जिला सागर

P.T.O

सूचना पत्र

पंचायत लिख दिया आज दिनांक 21/09/2023

की काम शुरूवात पहलू नं. 122 सांनिध्य सुरुखी में  
 उपस्थित होकर आरंभ मध्यम परियोजना में इस क्षेत्र  
 में प्रभक्ति वन भूमि के बरतों के लिए प्रस्तावित क्षेत्र  
 व्यापक अलेखर सांग के प्रस्ताव 90.0063/20(3)  
 वर्ष 2021-22 आदेश दिनांक 12/11/2021 के मध्यम  
 से खण्ड 590/2 रकबा 12.30 हे० 593 रकबा 40.00 हे०  
 एवं 594 रकबा 0.18.13 हे० कुल 70.43 हे० आवंटित की  
 गई निजका सीमांकन कर चौकड़ी पर निशान लगाकर  
 कब्जा लेने की कार्यवाही की गई उक्त कार्यवाही  
 में वन विभाग के वनपरिषेव अधिकारी सांग वन  
 पाल किलहरा तथा वनपाल तथा जल संसाधन विभाग  
 के उपयंत्री जल संसाधन उपविभाग 90.03 गडाना  
 तथा राजस्व विभाग के वापक वरगीलकर सुरुखी  
 सांनिध्य सुरुखी तथा उपस्थित पंचायत के  
 लक्ष्य आवंटित 70.43 हे० में से 54.59 हे० भूमि  
 सुरक्षित रूप से वन विभाग की सीमा में बगल  
 हस्तांतरित की गई, वन विभाग द्वारा उक्त भूमि पर  
 वन्य प्राण विभा गया!

शुभ  
RE

9: 420  
21/09/23

Prady  
-110-110-110

R.O. Saang  
वन विभाग

Suman  
KET

Prady  
विभाग

## FORM - II

(For projects other than linear projects)  
 Government of Madhya Pradesh  
 Office of the District Collector Sagar

No.....1197

Dated...30-9-21

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 where in the MoEF issued guidelines on submission of evidence for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest rights) Act. 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that **87.02 hectare, 49.16 hectare, 2.88 hectare, 43.10 hectare (182.16 hectare)** of forest land proposed to be diverted in favour of **E.E Water Resource Division No 1 Sagar** (name of user agency) for "Aapchand Madhyam Paiyojna" of Aapchand, Bodhapariya, Dudhoniya, Chapra Village(s) in Sagar tehsil.

. It is further certified that:

- The complete process for identification and settlement of rights under FRA has been carried out for the entire **87.02 hectare, 49.16 hectare, 2.88 hectare, 43.10 hectare (182.16 hectare)** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(S), Gram Sabha(S), Sub-Division Level Committee(S) and the District level Committee are enclosed as annexure-I to annexure- VI
- The proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular/local language ) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA:
- The each concerned Gram Sabha (s) has certified that all formalities /processes under the FRA have been carried out and they have given their consent to proposed diversion and compensation and ameliorative measures, if any having understood the purposed and details of proposed diversion, A copy of certificate issued by the Gram Panchayat, *Aapchand, Chandrapura, Belaimafi, Chandrapura, Chapra* in Sagar tehsils. is enclosed as Annexure-I to annexure VI
- The discussion and decision of such proposal had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of member of Grama Sabha present;
- The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and Gram Sabhas have given their consent to it;

The right of primitive Tribal Ground and Pre Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) of the FRA.

Encl.: As above.

  
 (Deepak Arya)  
 COLLECTOR  
 SAGAR (M.P)

**OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER,**  
**WATER RESOURCES DIVISION NO. 1 SAGAR (M.P.)**

Near Civil Court Sagar Ph. 07582-223809 E-mail:ee wrdno1sgr@gmail.com

---

**UNDERTAKING**

User Agency undertakes to upload the KML files of the area under diversion and the accepted area for raising compensatory afforestation in the E-green watch portal of FSI, before handing over forest land to the user agency.

  
(Nishesh Goswami)

**Sub Divisional Officer**  
Water Resources Sub Dn. NO.3  
Garhakota, Sagar (M.P.)



(Akhil Birthare)

**Executive Engineer**  
Water Resources Dn. No. 1  
Sagar (M.P.)

**OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER,**  
**WATER RESOURCES DIVISION NO. 1 SAGAR (M.P.)**

Near Civil Court Sagar Ph. 07582-223809 E-mail:ewrdno1sgr@gmail.com

---

**UNDERTAKING**

User Agency undertakes that all the funds received shall be transferred/ deposited in CAMPA account only through e-portal (<https://parivesh.nic.in/>).



(Nishesh Goswami)

**Sub Divisional Officer**

Water Resources Sub Dn. NO.3

Garhakota, Sagar (M.P.)



(Akhil Birthare)

**Executive Engineer**

Water Resources Dn. No. 1

Sagar (M.P.)

Annexure-

**OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER,**  
**WATER RESOURCES DIVISION NO. 1 SAGAR (M.P.)**

Near Civil Court Sagar Ph. 07582-223809 E-mail: eewrdo1sgr@gmail.com

---

**UNDERTAKING**

User Agency undertakes that compliance report shall be uploaded on e-portal (<https://parivesh.nic.in/>).



(Nishesh Goswami)  
**Sub Divisional Officer**  
Water Resources Sub Dn. NO.3  
Garhakota, Sagar (M.P.)



(Akhil Birthare)  
**Executive Engineer**  
Water Resources Dn. No. 1  
Sagar (M.P.)



**OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER,**  
**WATER RESOURCES DIVISION NO. 1 SAGAR (M.P.)**

Near Civil Court Sagar Ph. 07582-223809 E-mail: eewrdno1sgr@gmail.com

---

**UNDERTAKING**

User Agency undertakes that legal status of the diverted forest land shall remain unchanged.

  
(Nishesh Goswami)

**Sub Divisional Officer**

Water Resources Sub Dn. NO.3  
Garhakota, Sagar (M.P.)

  
(Akhil Borthare)

**Executive Engineer**

Water Resources Dn. No. 1  
Sagar (M.P.)

**OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER.**  
**WATER RESOURCES DIVISION NO. 1 SAGAR (M.P.)**

Near Civil Court Sagar Ph. 07582-223809 E-mail: eewrдно1sgr@gmail.com

---

**UNDERTAKING**

User Agency undertakes that forest land will be handed over only after required non-forest land in the project is obtained by the user agency.



(Nishesh Goswami)

**Sub Divisional Officer**

Water Resources Sub Dn. NO.3

Garhakota, Sagar (M.P.)



(Akhil Birthare)

**Executive Engineer**

Water Resources Dn. No. 1

Sagar (M.P.)


Annexure-


**OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER,**  
**WATER RESOURCES DIVISION NO. 1 SAGAR (M.P.)**

Near Civil Court Sagar Ph. 07582-223809 E-mail: eewrdo1sgr@gmail.com

**UNDERTAKING**

User Agency undertakes to pay the additional amount of NPV, if so determined, as per the final decision of the Hon'ble Supreme Court of India

  
(Nishesh Goswami)  
**Sub Divisional Officer**  
Water Resources Sub Dn. NO.3  
Garhakota, Sagar (M.P.)


  
(Akhil Birthare)  
**Executive Engineer**  
Water Resources Dn. No. 1  
Sagar (M.P.)


**OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER,**  
**WATER RESOURCES DIVISION NO. 1 SAGAR (M.P.)**

Near Civil Court Sagar Ph. 07582-223809 E-mail: eewrdno1sgr@gmail.com

**UNDERTAKING**

User Agency undertakes that felling of trees shall be restricted to FRL-4 meter only. Number of trees to be removed shall be kept as barest minimum during the execution of project.

  
(Nishesh Goswami)  
**Sub Divisional Officer**  
Water Resources Sub Dn. NO.3  
Garhakota, Sagar (M.P.)

  
(Akhil Birkhare)  
**Executive Engineer**  
Water Resources Dn. No. 1  
Sagar (M.P.)

**OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER,**  
**WATER RESOURCES DIVISION NO. 1 SAGAR (M.P.)**

Near Civil Court Sagar Ph. 07582-223809 E-mail:ee wrdno1sgr@gmail.com

---

**UNDERTAKING**

User Agency undertakes to obtain the Environment Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986.

(Nishesh Goswami)

**Sub Divisional Officer**

Water Resources Sub Dn. NO.3  
Garhakota, Sagar (M.P.)

(Akhil Bithare)

**Executive Engineer**

Water Resources Dn. No. 1  
Sagar (M.P.)

**OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER,**  
**WATER RESOURCES DIVISION NO. 1 SAGAR (M.P.)**

Near Civil Court Sagar Ph. 07582-223809 E-mail: eewrdo1sgr@gmail.com

---

**UNDERTAKING**

User Agency shall undertake afforestation along the periphery of the reservoir.



(Nishesh Goswami)

**Sub Divisional Officer**

Water Resources Sub Dn. NO.3  
Garhakota, Sagar (M.P.)



(Akhil Birthare)

**Executive Engineer**

Water Resources Dn. No. 1  
Sagar (M.P.)

**OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER,**  
**WATER RESOURCES DIVISION NO. 1 SAGAR (M.P.)**

Near Civil Court Sagar Ph. 07582-223809 E-mail: eewrdno1sgr@gmail.com

**UNDERTAKING**

User Agency undertakes that no labour camp shall be established on the forest land and the User Agency shall provide fuels preferably alternate fuels to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas.



(Nishesh Goswami)

**Sub Divisional Officer**

Water Resources Sub Dn. NO.3  
Garhakota, Sagar (M.P.)



(Akhil Birthare)

**Executive Engineer**

Water Resources Dn. No. 1  
Sagar (M.P.)

**OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER,**  
**WATER RESOURCES DIVISION NO. 1 SAGAR (M.P.)**

Near Civil Court Sagar Ph. 07582-223809 E-mail:ewrdno1sgr@gmail.com

---

**UNDERTAKING**

User Agency undertakes that the boundary of the diverted forest land, shall be demarcated on ground at the project cost, by erecting four feet high reinforced cement concrete pillars, each inscribed with its serial number, distance from pillar to pillar and GPS coordinates.



(Nishesh Goswami)

**Sub Divisional Officer**

Water Resources Sub Dn. NO.3

Garhakota, Sagar (M.P.)



(Akhil Birtare)

**Executive Engineer**

Water Resources Dn. No. 1

Sagar (M.P.)



**OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER,**  
**WATER RESOURCES DIVISION NO. 1 SAGAR (M.P.)**

Near Civil Court Sagar Ph. 07582-223809 E-mail: [ewrdo1sgr@gmail.com](mailto:ewrdo1sgr@gmail.com)

**UNDERTAKING**

User Agency undertakes that the forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agency, department or person without prior approval of the Central Government.



(Nishesh Goswami)  
**Sub Divisional Officer**  
Water Resources Sub Dn. NO.3  
Garhakota, Sagar (M.P.)



(Akhil Bithare)  
**Executive Engineer**  
Water Resources Dn. No. 1  
Sagar (M.P.)

**OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER,**  
**WATER RESOURCES DIVISION NO. 1 SAGAR (M.P.)**  
Near Civil Court Sagar Ph. 07582-223809 E-mail: eewrdo1sgr@gmail.com


---

**UNDERTAKING**

User Agency undertakes that no damage to the flora and fauna of the adjoining area shall be caused.



(Nishesh Goswami)  
**Sub Divisional Officer**  
Water Resources Sub Dn. NO.3  
Garhakota, Sagar (M.P.)



(Akhil Birkhare)  
**Executive Engineer**  
Water Resources Dn. No. 1  
Sagar (M.P.)


Annexure-


**OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER,**  
**WATER RESOURCES DIVISION NO. 1 SAGAR (M.P.)**

Near Civil Court Sagar Ph. 07582-223809 E-mail:ewrdno1sgr@gmail.com

**UNDERTAKING**

User Agency undertakes that sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.

  
(Nishesh Goswami)  
**Sub Divisional Officer**  
Water Resources Sub Dn. NO.3  
Garhakota, Sagar (M.P.)

  
(Akhil Birthare)  
**Executive Engineer**  
Water Resources Dn. No. 1  
Sagar (M.P.)


Annexure-


**OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER,**  
**WATER RESOURCES DIVISION NO. 1 SAGAR (M.P.)**

Near Civil Court Sagar Ph. 07582-223809 E-mail: eewrdno1sgr@gmail.com

**UNDERTAKING**

User Agency undertakes that he layout plan of the proposal shall not be changed without the prior approval of the Central Government.

  
(Nishesh Goswami)  
**Sub Divisional Officer**  
Water Resources Sub Dn. NO.3  
Garhakota, Sagar (M.P.)

  
(Akhil Birthare)  
**Executive Engineer**  
Water Resources Dn. No. 1  
Sagar (M.P.)


Annexure-


**OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER,**  
**WATER RESOURCES DIVISION NO. 1 SAGAR (M.P.)**

Near Civil Court Sagar Ph. 07582-223809 E-mail: eewrdo1sgr@gmail.com

**UNDERTAKING**

User Agency undertakes that no additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.

  
(Nishesh Goswami)  
**Sub Divisional Officer**  
Water Resources Sub Dn. NO.3  
Garhakota, Sagar (M.P.)

  
(Akhil Birthare)  
**Executive Engineer**  
Water Resources Dn. No. 1  
Sagar (M.P.)


**OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER,**  
**WATER RESOURCES DIVISION NO. 1 SAGAR (M.P.)**


Near Civil Court Sagar Ph. 07582-223809 E-mail: eewrdo1sgr@gmail.com

---

**UNDERTAKING**

User Agency undertakes that the period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.

  
(Nishesh Goswami)  
**Sub Divisional Officer**  
Water Resources Sub Dn. NO.3  
Garhakota, Sagar (M.P.)


  
(Akhil Bithare)  
**Executive Engineer**  
Water Resources Dn. No. 1  
Sagar (M.P.)


**OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER,**  
**WATER RESOURCES DIVISION NO. 1 SAGAR (M.P.)**

Near Civil Court Sagar Ph. 07582-223809 E-mail: eewrdno1sgr@gmail.com

**UNDERTAKING**

User Agency undertakes that the user agency in consultation with the State Government shall create and maintain alternate habitat/home for the avifauna, whose nesting trees are to be cleared in this project. Bird's nests artificially made out of eco-friendly material shall be used in the area, including forest area and human settlements, adjoining the forest area being diverted for the project.

  
(Nishesh Goswami)  
**Sub Divisional Officer**  
Water Resources Sub Dn. NO.3  
Garhakota, Sagar (M.P.)

  
(Akhil Birkhare)  
**Executive Engineer**  
Water Resources Dn. No. 1  
Sagar (M.P.)


Annexure-


**OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER,  
WATER RESOURCES DIVISION NO. 1 SAGAR (M.P.)**

Near Civil Court Sagar Ph. 07582-223809 E-mail: eewrdno1sgr@gmail.com

**UNDERTAKING**

User Agency undertakes to restrict the felling of trees to minimum numbers in the diverted forest land and trees shall be felled under strict supervision of the State Forest Department.

  
(Nishesh Goswami)  
**Sub Divisional Officer**  
Water Resources Sub Dn. NO.3  
Garhakota, Sagar (M.P.)

  
(Akhil Birthare)  
**Executive Engineer**  
Water Resources Dn. No. 1  
Sagar (M.P.)

गईन  
क  
5-



**OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER,**  
**WATER RESOURCES DIVISION NO. 1 SAGAR (M.P.)**

Near Civil Court Sagar Ph. 07582-223809 E-mail:ewrdo1sgr@gmail.com

---

**UNDERTAKING**

User Agency undertakes to explore the possibility of translocation of maximum number of trees identified to be felled and shall ensure that any tree felling shall be done only when it is unavoidable and that too under strict supervision of the State Forest Department.



(Nishesh Goswami)

**Sub Divisional Officer**

Water Resources Sub Dn. NO.3  
Garhakota, Sagar (M.P.)



(Akhil Birthare)

**Executive Engineer**

Water Resources Dn. No. 1  
Sagar (M.P.)

Annexure-

**OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER,**  
**WATER RESOURCES DIVISION NO. 1 SAGAR (M.P.)**

Near Civil Court Sagar Ph. 07582-223809 E-mail: eewrdno1sgr@gmail.com

**UNDERTAKING**

User Agency undertakes to submit the annual self-compliance report in respect of the above stated conditions to the State Government, concerned Integrated Regional Office and to this Ministry by the end of March every year regularly.



(Nishesh Goswami)  
**Sub Divisional Officer**  
Water Resources Sub Dn. NO.3  
Garhakota, Sagar (M.P.)



(Akhil Birthare)  
**Executive Engineer**  
Water Resources Dn. No. 1  
Sagar (M.P.)

**OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER,**  
**WATER RESOURCES DIVISION NO. 1 SAGAR (M.P.)**

Near Civil Court Sagar Ph. 07582-223809 E-mail: eewrdno1sgr@gmail.com

---

**UNDERTAKING**

User Agency undertakes to comply all the provisions of the all Acts, Rules, Regulations, Guidelines, Hon'ble Court Order(s) and NGT Order(s) pertaining to this project, if any, for the time being in force, as applicable to the project.



(Nishesh Goswami)

**Sub Divisional Officer**

Water Resources Sub Dn. NO.3  
Garhakota, Sagar (M.P.)



(Akhil Birthare)

**Executive Engineer**

Water Resources Dn. No. 1  
Sagar (M.P.)

**OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER,**  
**WATER RESOURCES DIVISION NO. 1 SAGAR (M.P.)**

Near Civil Court Sagar Ph. 07582-223809 E-mail:ewrдно1sgr@gmail.com

---

**UNDERTAKING**

User Agency undertakes that Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F. No. 11-42/2017-FC dated 29/01/2018.



(Nishesh Goswami)  
**Sub Divisional Officer**  
Water Resources Sub Dn. NO.3  
Garhakota, Sagar (M.P.)



(Akhil BIRTHARE)  
**Executive Engineer**  
Water Resources Dn. No. 1  
Sagar (M.P.)

# कार्यालय कमिश्नर सागर संभाग सागर

सागरदिनांक ०२/०२/२०२३

क/६३ /एक-स.अ./२०२३

## -सूचना-

आपचंद जलाशय मध्यम परियोजना जिला-सागर में तहसील सागर के अंतर्गत सूक्ष्म क्षेत्र के ग्राम आपचंद, बोधा पिपरिया, गौची एवं दुधौनिया के परिवारों हेतु निजी भूमि धारकों की भूमि अर्जन होने के कारण प्रभावित व्यक्तियों की भूमि अर्जन पुर्नवसन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम २०१३ के तहत अर्जित की जा रही भूमि के अर्जन के कारण प्रभावित परिवारों के पुर्नवसन और पुर्नव्यवस्थापन हेतु कलेक्टर जिला सागर के राजस्व प्रकरण क्र २२ अ/८२/वर्ष २०२२-२३ में धारा ४५ (२) के तहत गठित पुर्नवसन और पुर्नव्यवस्थापन समिति की समीक्षा के उपरांत प्रस्तुत पुर्नवसन और पुर्नव्यवस्थापन स्कीम अधिनियम की धारा १७(२) के तहत अनुमोदन उपरांत धारा १८ के तहत इस सूचना के साथ संलग्न कर प्रकाशन किया जाता है।

(मुकेश शुक्ल)  
कमिश्नर

सागर संभाग सागर

सागरदिनांक ०२/०२/२०२३

पृ.क्र/६४ /एक-स.अ./२०२३  
प्रतिलिपि :-

१. आयुक्त जन संपर्क कार्यालय म.प्र. भोपाल की ओर सूचना की ०३ प्रतियां प्रेषित कर अनुरोध है कि सूचना का प्रकाशन दो समाचार पत्रों में जिनमें से ०१ प्रादेशिक भाषा में होगा, में प्रकाशन कराकर कृपया प्रकाशित समाचार पत्रों की प्रतियां इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
२. कलेक्टर जिला सागर की ओर उनके मूल प्रकरण २२ अ/८२/वर्ष २०२२-२३ सहित सूचनार्थ एवं प्रकरण में तत्काल अग्रोत्तर कार्यवाही हेतु।
३. अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी सागर जिला सागर की ओर सूचना की एक प्रति कार्यालय सूचना पटल पर चस्पा कराकर प्रकाशन कराये जाने एवं प्रकाशन रिपोर्ट कलेक्टर सागर को उपलब्ध कराये जाने हेतु।
४. प्रभारी अधिकारी जिला सूचना एवं विज्ञान केन्द्र सागर की ओर सूचनार्थ जिले की वेबसाईट पर अपलोड कराये जाने हेतु।
५. तहसीलदार सागर जिला सागर की ओर सूचना की एक प्रति तहसील कार्यालय सागर/संबंधित ग्रामों की ग्राम पंचायतों में प्रकाशन कराये जाने एवं प्रकाशन रिपोर्ट कलेक्टर सागर को उपलब्ध कराये जाने हेतु।

कमिश्नर  
सागर संभाग सागर

आपचंद मध्यम परियोजनांतर्गत प्रभावित कुटुंबों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 16 के तहत तैयार की गई पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन नीति प्ररूप

दिनांक 12/09/2022 को आपचंद मध्यम परियोजनांतर्गत अर्जित की जा भूमियों के कारण प्रभावित कुटुंबों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 16 के तहत परियोजना प्रशासक (प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन विभाग) द्वारा तैयार की गई पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन नीति का अधिनियम की धारा 45(2) के तहत गठित पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन समिति द्वारा पुनर्विलोकन किया गया। आपचंद मध्यम परियोजनांतर्गत तहसील सागर जिला सागर अंतर्गत कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-एक सागर जिला सागर द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के आधार पर भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (जिसे आगे अधिनियम 2013 कहा गया है) के तहत निम्नानुसार ग्रामों की भूमि का अर्जन किया जाना प्रस्तावित है।

स. क्र.	तहसील	ग्राम	निजी प्रभावित रकवा हे०में	शासकीय भूमि का रकवा हे०में	कुल रकवा
1	सागर	आपचंद	219.68	100.64	320.32
2	सागर	बोधापिपरिया	121.40	12.28	133.68
3	सागर	गौंची	9.04	14.38	23.42
4	सागर	दुधोनिया	12.08	10.50	22.58
योग:-			362.200	137.800	500.00

2- कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-एक सागर जिला सागर के प्रस्ताव अनुसार प्रभावित ग्रामों का राजस्व एवं जल संसाधन विभाग के संयुक्त सर्वेक्षण दल से सर्वेक्षण कराया गया। उक्त प्रारंभिक सर्वेक्षण अनुसार उपरोक्तानुसार ग्रामों में निम्नानुसार प्रभावित परिवारों का पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन किया जाना संभावित है:-

स. क्र.	ग्राम	कुल प्रभावित व्यक्त जिनके प्रभावित मकानों में स्थाई निवास है	अधि. 2013 की धारा 3ड के तहत प्रभावित परिवारों की संख्या	कुल प्रभावित व्यक्त जिनके प्रभावित मकानों में स्थाई निवास है	कुल प्रभावित परिवारों की संख्या	प्रभावित छोटे कारपीनर	प्रभावित छोटे दुकानदार	पशुबाड़ा रखने वाले परिवारों की संख्या	लोकप्रयोगी शासकीय भवनों की संख्या	अन्य सुख सुविधायें एवं संचनाओं की संख्या
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	सागर	48	22	09	79	00	03	35	01	00
2	सागर	00	00	10	10	00	00	07	00	01
3	सागर	01	08	01	10	00	00	01	00	00
4	सागर	01	04	00	05	00	00	01	00	00
योग		50	34	20	104	00	03	44	01	01

3- उपरोक्तानुसार प्रभावित कुटुंबों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु अधिनियम 2013 की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति का निर्धारण किया जाना अपेक्षित है। अतः अधिनियम 2013 की धारा 16 के तहत आपचंद मध्यम परियोजनांतर्गत निम्नानुसार पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति प्रारूप तैयार किया जाना प्रस्तावित है।

4- उपरोक्त तालिका अनुसार आपचंद जलाशय परियोजनांतर्गत प्रभावित भूमि अर्जन के कारण तहसील सागर के 04 ग्रामों में 70 व्यक्तियों (कॉलम नंबर 4 एवं 6 में अंकित व्यक्तियों) के मकान प्रभावित हो रहे हैं जिनमें प्रभावित मकान धारकों के अलावा अधिनियम 2013 की धारा 3ड के तहत सर्वेक्षित 34 (कॉलम नंबर 5 में अंकित) कुटुंब भी निवासरत हैं। प्रभावित मकानधारकों में से 20 (कॉलम नंबर 6 में अंकित) मकानधारकों का प्रभावित मकानों में स्थाई निवास नहीं है उक्त मकान को पशुपालन अथवा कृषि कार्य उपयोग में लिये जा रहे हैं। परियोजनांतर्गत तहसील सागर में अनुमानित कुल 84 (50

लाइन

मांक

एफ-

क-

9

ग

थाई निवासी तथा 34 धारा 3ड के तहत) प्रभावित कुटुंबों का पुनर्व्यवस्थापन किया जाना है। उपरोक्तानुसार परिवारों (कुटुंबों) को जो प्रभावित मकानों में स्थाई रूप से निवासरत है तथा जिनके अन्यत्र स्थानों पर निवास हेतु मकान नहीं है के विस्थापन हेतु गौजा आपवंद पट.ह.नं.-109 तहसील सागर की शासकीय भूमि खसरा नंबर 1037/1 में से रकवा 2.000 हे. भूमि पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित की जाकर न्यायालय कलेक्टर सागर में भूमि आवंटन हेतु प्रकरण क्रमांक-83अ/20(3)/21-22 एवं 93अ/20(3)/21-22 विचाराधीन है। आवेदक विभाग को भूमि आवंटन होने के उपरांत के उपरांत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु आवंटित शासकीय भूमि पर प्रभावित अवाडियों को पात्रानुसार एक-एक आवासीय पट्टे 30x30 वर्गफुट के लाटरी के माध्यम से आवंटित किये जावेगे जिसकी समयसीमा गू-अर्जन प्रकरणों में अवार्ड पारित होने के उपरांत तीन माह होगी।

5-

अधिनियम 2013 की दूसरी अनुसूची अनुसार प्रभावित कुटुंबों को निम्नानुसार पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन सहायतायें/सुविधायें दी जावेगी।

- (1) ग्रामीण क्षेत्र में प्रभावित किसी मकान से वंचित किये जाने की दशा में प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान उपलब्ध कराया जाएगा जिसका कुर्सी क्षेत्र 50 वर्गमीटर से कम नहीं होगा।
- (2) कंडिका-1 में वर्णित फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुंबों को, जो वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसे क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा।
- (3) यदि कोई प्रभावित कुटुंब जो प्रस्थापित मकान को न लेने का विकल्प करता है, तो निर्मित मकान के बदले मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा।
- (4) अर्जन से प्रभावित किसी कुटुंब को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा।
- (5) (क) जहां परियोजना के माध्यम से कार्य सृजित किया जाता है वहां, अपेक्षित क्षेत्रों में समुचित प्रशिक्षण देने और कौशल विकास करने के पश्चात् प्रत्येक प्रभावित कुटुंब के कम से कम एक सदस्य के लिए उस दर पर, जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में उपबंधित न्यूनतम मजदूरी से कम न हो, उस परियोजना में नियोजन का उपबंध किया जाना या ऐसी अन्य परियोजना में ऐसे कार्य की, जिसकी अपेक्षा की जाए, व्यवस्था किया जाना या

(ख) प्रति प्रभावित कुटुंब पांच लाख रुपये का एक बारगी संदाय या

(ग) वार्षिकी पालिसियां, जिनके द्वारा कृषिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक के समुचित सूचकांकन के अनुसार बीस वर्ष तक प्रति कुटुंब कम से कम दो हजार रुपये प्रति मास का संदाय किया जाएगा।

- (6) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब, जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमास तीन हजार रुपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
- (7) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुंब, भवन सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पच्चास हजार रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
- (8) पशु या छोटी दुकान रखने वाले प्रत्येक प्रभावित कुटुंब ऐसी रकम की वित्तीय सहायता, यथारिथति, पशुबाड़े या छोटी दुकान के निर्माण के लिए एक बारगी ऐसी रकम की वित्तीय सहायता प्राप्त करेगा जो समुचित सरकार द्वारा, न्यूनतम पच्चीस हजार रुपए की सीमा के अधीन रहते हुए अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।
- (9) किसी कारीगर, छोटे व्यापारी या स्वनियोजित व्यक्ति के प्रत्येक प्रभावित कुटुंब या ऐसे प्रभावित कुटुंब जिसके स्वामित्वाधीन प्रभावित क्षेत्र में गैर कृषिक भूमि या वाणिज्यिक, औद्योगिक या संस्थागत ढांचा है और जिसे भूमि अर्जन के कारण प्रभावित क्षेत्र से अस्वेच्छक रूप से विस्थापित किया गया है, ऐसी रकम की एक

- बारगी वित्तीय सहायता पाएगा जो समुचित सरकार द्वारा न्यूनतम पच्चीस हजार रूपए की सीमा के अधीन रहते हुए अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।
- (10) प्रभावित कुटुंबों को जलाशय में मछली पकड़ने के अधिकार की अनुज्ञा ऐसी रीति में दी जा सकेगी जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए।
- (11) प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रूपये का एक बार "पुनर्व्यवस्थापन भत्ता" दिया जाएगा।
- (12) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टांप शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा।
- (13) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी।
- (14) आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नि और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा।

6- अधिनियम 2013 की तीसरी अनुसूची अनुसार प्रभावित कुटुंबों/जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यक्ष प्राधिकारी के खर्चे पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुविधाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापित जन समुदाय स्वयं के लिए एक युक्तियुक्त सामुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सके और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें। युक्तियुक्त वासयोग्य और नियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी।

- (1) सभी पुनर्व्यवस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए।
- (2) वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं।
- (3) भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन।
- (4) पशु के लिए पेयजल की व्यवस्था।
- (5) राज्य की स्वीकार्य अनुपात के अनुसार चारागाह
- (6) उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या
- (7) यथेचित पंचायत घर
- (8) बीज सह उर्वरक भण्डारण की समुचित सुविधा, यदि आवश्यक हो।
- (9) विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्व्यवस्थापन के लिए स्थापित सभी नए ग्रामों को उपयुक्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें नजदीकी विकास केन्द्र/शहरी रिहायशों से स्थानीय बस सेवाओं के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं अवश्य सम्मिलित होनी चाहिए।
- (10) स्थल पर रहने वाले जाति-समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह
- (11) स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिन्दु
- (12) प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के गैर-परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)
- (13) शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनबाड़ी
- (14) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय विद्यालय
- (15) दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उप स्वास्थ्य केन्द्र
- (16) भारत सरकार द्वारा यथाविहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
- (17) बच्चों के लिए कीड़ा क्षेत्र
- (18) प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र

- (19) प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटुंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल/वृक्ष चौतरा
- (20) व्यवस्थापन के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए यदि आवश्यक हो
- (21) मानकों के अनुसार पशुपालन सेवा केन्द्र।



- (22) उपरोक्तानुसार लाभ एवं सुविधायें प्रभावित व्यक्तियों को प्रभावित ग्राम/मकानों में अधिनियम 2013 की धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास करने की स्थिति में ही देय होंगे तथा धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास को प्रमाणित किये जाने हेतु दरतावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का उत्तरदायित्व संबंधित प्रभावित कुटुंबों (व्यक्तियों) का होगा।
- (23) अधिनियम की धारा 3ड के तहत प्रभावित कुटुंब (व्यक्ति) द्वारा 18 वर्ष की आयु धारा 11 की प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक के पूर्व पूर्ण किये जाने का प्रमाण प्रस्तुत किये जाने पर ही उपरोक्तानुसार सुविधायें एवं लाभ प्रभावित व्यक्ति/कुटुंब को दिया जावेगा।



मनोज सिंह  
जिला सागर (म.प्र.)



(अखिल बिलथर)  
कार्यपालन यंत्री,  
जल संसाधन संभाग  
क्र-एक  
सागर जिला सागर

पेमरानी  
सरपंच  
ग्राम पंचायत खिरिया खुर्द  
वि.सं. सागर जिला सागर (म.प्र.)  
विकासखण्ड, सागर  
23/09/2022

(श्रीमति राधिका  
आदिवासी)

वेबी

श्रीमति वेबीबाई पति  
रामकृष्ण परिहार  
(सारस्वती स्व. सहायता समूह  
आपचंद)

(भुजबल सिंह पटैल)  
प्रतिनिधि

माननीय राज्य मंत्री महोदय  
जल शक्ति, खाद्य प्रसंस्करण  
उद्योग मंत्रालय भारत सरकार

(श्रीमति संप्रना त्रिपाठी)  
अनुविभागीय अधिकारी  
एवं भू-अर्जन अधिकारी  
सागर जिला सागर

सरपंच  
ग्राम पंचायत आपचंद  
वि.सं. सागर (म.प्र.)  
ग्राम पंचायत आपचंद  
विकासखण्ड सागर

सरपंच  
ग्राम पंचायत बेलई माफी  
वि.सं. सागर जिला सागर (म.प्र.)  
ग्राम पंचायत बेलई माफी  
विकासखण्ड सागर

(अशोक पिता बलदेव अहि.)

अशोक

(गोपाल भार्गव)  
मंत्री

लोक निर्माण, कुटीर एवं  
ग्रामोद्योग  
मध्य प्रदेश शासन

(अखिलेश जैन)  
अपर कलेक्टर  
सागर जिला सागर  
एवं प्रभारी अधिकारी  
भू-अर्जन शाखा

प्रबन्धक  
बैंक ऑफ इंडिया  
शाखा कलेक्टर परिसर सागर

सरपंच  
ग्राम पंचायत चन्द्रपुरा  
विकासखण्ड सागर  
जनपद पंचायत सागर  
जिला सागर (म.प्र.)

(सूरज पिता राधे आदिवासी)



कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष-भू प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल  
क्रमांक/एफ-3/101/2021/10-11/12/3782 भोपाल, दिनांक 22-8-23  
प्रति,

वनमंडलाधिकारी,  
सा0 वन मण्डल, दक्षिण सागर,  
मध्यप्रदेश।

विषय:-जिला सागर के अन्तर्गत आपचंद मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु 181.39 हेक्टेयर (आनलाईन रकबा 182.16 हे0) वनभूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने बाबत।

संदर्भ:-भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक 8-20/2022-FC दिनांक 21.08.2023

—00—

उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, त्वरित संदर्भ हेतु छायाप्रति संलग्न है। जिसके द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, कार्यालय नई दिल्ली ने विषयांकित प्रकरण की प्रथम चरण सैद्धांतिक स्वीकृति जारी की गई है। स्वीकृति पत्र में उल्लेखित शर्तों के अनुसार निम्नानुसार कार्यवाही की जावे :-

शर्त क्रमांक- A(iii) के पालन में प्रकरण में आपके द्वारा तैयार की गई निम्नानुसार वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना की राशि आवेदक संस्थान से एड-हॉक कैम्पा मद में आनलाईन पोर्टल के माध्यम से जमा कराई जावे :-

क्र	स्थल का नाम / वनपरिक्षेत्र	कक्ष क्रमांक/ खसरा क्रमांक	रोपण योग्य रकबा (हे0 में)	योजना की राशि (रूपये में)
1	ग्राम गुरैया	593, 594	54.586	3,04,23,848
2	वनपरिक्षेत्र ढाना	पी. एफ. 812	25.00	1,76,16,500
3	वनपरिक्षेत्र ढाना	आर. एफ. 798	40.00	2,31,97,900
4	वनपरिक्षेत्र केसली	पी. एफ. 1064	35.00	2,66,00,000
5	वनपरिक्षेत्र ढाना	पी. एफ. 909	30.00	2,04,90,847
कुल योग (रूपये) :-				11,83,29,095

शर्त क्रमांक- A(iv) के पालन में प्रस्तावित 181.39 हेक्टेयर वनभूमि की नेट प्रजेण्ट वैल्यू की राशि रू. 17,37,31,714/- आवेदक संस्थान से कैम्पा मद में आनलाईन जमा कराई जावे।

शर्त क्रमांक- A(v) के पालन में आवेदक विभाग द्वारा परियोजना अंतर्गत प्रस्तुत किए गए केचमेन्ट एरिया ट्रीटमेन्ट प्लान के प्राक्कलन अनुसार राशि रूपये 142.27 लाख कैम्पा मद में आनलाईन जमा कराई जावे।


शर्त क्रमांक- A(vii) के पालन में प्रकरण में क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु प्राप्त गैर वनभूमि को वन विभाग के नाम हस्तांतरण/नामान्तरण कराकर फार्म पी-2 एवं कब्जा रसीद आदि की प्रति इस कार्यालय को भिजवाये। साथ ही आवेदक संस्थान द्वारा उपलब्ध कराई गयी गैर वनभूमि को वनभूमि घोषित करने संबंधी अधिसूचना का प्रारूप वन भू-अभिलेख शाखा को भेजते हुए की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को आवश्यक रूप से अवगत करावे।

-2-

शर्त क्रमांक- B(iii) के पालन में अतिरिक्त एन.पी.व्ही. की राशि देय संबंधी वचन पत्र आवेदक संस्थान से प्राप्त कर प्रेषित किया जावे।

अतः भारत सरकार द्वारा जारी शेष समस्त शर्तों का शर्तवार पालन प्रतिवेदन आवेदक संस्थान से प्राप्त किया जाकर इस कार्यालय को 02 प्रति में प्रेषित किया जावे।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।



(सुनील अग्रवाल)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)


मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22-8-23

पृ. क्रमांक/एफ-3/101/2021/10-11/12/3783  
प्रतिलिपि:-

1. मुख्य वन संरक्षक, (क्षेत्रीय) सागर वृत्त सागर, मध्यप्रदेश।
2. वनमंडलाधिकारी, सा0 वन मण्डल, दक्षिण सागर, मध्यप्रदेश।
3. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.-1, जिला सागर, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्य हेतु अग्रेषित।



प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)

मध्यप्रदेश, भोपाल

8-20/2022-FC

1/51301/2023

Government of India  
Ministry of Environment, Forest and Climate Change  
(Forest Conservation Division)

Indira Paryavaran Bhawan,  
Jor Bag Road, Aligarj,  
New Delhi - 110003  
Dated: 21<sup>st</sup> August, 2023

To,

The Principal Secretary (Forests),  
Government of Madhya Pradesh,  
Bhopal.

Subject: Diversion of 181.39 ha (182.16 ha as per online proposal) forest land for the construction of Apchand Medium Irrigation Project in favour of Water Resource Division under Sagar District of Madhya Pradesh State (Online No. FP/MP/IRRIG/43200/2019) - regarding.

Madam/Sir,

I am directed to refer to the Principal Chief conservator of Forests (Land Management) and Nodal Officer, Forest (Conservation) Act, 1980, Government of Madhya Pradesh's letter No. F3/101/2021/10-11/12/2938 dated 23.08.2022 on the above mentioned subject, seeking prior approval of Central Government under Section-2(ii) of the Forest (Conservation) Act, 1980, and to say that the said proposal has been examined by the Advisory Committee constituted by the Central Government under Section-3 of the aforesaid Act.

2. After careful consideration of the proposal of the State Government of Madhya Pradesh and on the basis of the recommendations of the Advisory Committee, the Central Government hereby accords "In-principle/Stage-I" approval under the Forest (Conservation) Act, 1980 for diversion of 181.39 ha forest land for the construction of Apchand Medium Irrigation Project in favour of Water Resource Division under Sagar District of Madhya Pradesh State, subject to the following conditions: -

**A: Conditions required to be complied prior to handing over of forest land by the State Forest Department and compliance to be submitted prior to Stage-II approval:-**

- i. The user agency has submitted the proposal for diversion of 182.16 ha, however the State Government has recommended only 181.39 ha for diversion. The revised component wise breakup and layout of the 181.39 ha forest land shall be submitted prior to Stage-II approval.
- ii. The plantations affected by the project shall be carried out by the State Government at other suitable locations at the cost of the user agency. A detailed scheme in this regard shall be submitted by the State Government, with the money deposited, KML files and site suitability certificate given by the Nodal officer along with the compliance report of Stage-I.
- iii. The User Agency shall transfer the cost of raising and maintaining the compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of

  
21/08/23

- vii. The User Agency shall undertake afforestation along the periphery of the reservoir;
- viii. No labour camp shall be established on the forest land and the User Agency shall provide fuels preferably alternate fuels to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas;
- ix. The boundary of the diverted forest land, shall be demarcated on ground at the project cost, by erecting four feet high reinforced cement concrete pillars, each inscribed with its serial number, distance from pillar to pillar and GPS coordinates;
- x. The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agency, department or person without prior approval of the Central Government;
- xi. No damage to the flora and fauna of the adjoining area shall be caused;
- xii. Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel;
- xiii. The layout plan of the proposal shall not be changed without the prior approval of the Central Government;
- xiv. No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work;
- xv. The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less;
- xvi. The user agency in consultation with the State Government shall create and maintain alternate habitat/home for the avifauna, whose nesting trees are to be cleared in this project. Bird's nests artificially made out of eco-friendly material shall be used in the area, including forest area and human settlements, adjoining the forest area being diverted for the project;
- xvii. The concerned Divisional Forest Officer, will monitor and take necessary mitigative measures to ensure that there is no adverse impact on the forests in the surrounding area;
- xviii. The User Agency shall restrict the felling of trees to minimum numbers in the diverted forest land and trees shall be felled under strict supervision of the State Forest Department;
- xix. The user agency shall explore the possibility of translocation of maximum number of trees identified to be felled and shall ensure that any tree felling shall be done only when it is unavoidable and that too under strict supervision of the State Forest Department;
- xx. The User Agency shall submit the annual self-compliance report in respect of the above stated conditions to the State Government, concerned Integrated Regional Office and to this Ministry by the end of March every year regularly;
- xxi. The user agency shall comply all the provisions of the all Acts, Rules, Regulations, Guidelines, Hon'ble Court Order (s) and NGT Order (s) pertaining to this project, if any, for the time being in force, as applicable to the project;
- xxii. Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F, No. 11-42/2017-FC dated 29/01/2018;
- xxiii. Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.

  
21/05/23

- permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in consultation with State Forest Department in the account of CAMPA of the concerned State through online portal. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years;
- iv. The User Agency shall transfer online, the Net Present Value (NPV) of the forest land being diverted under this proposal, as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 28.03.2008, 24.04.2008 and 09.05.2008 in Writ Petition (Civil) No. 202/1995 and the guidelines issued by this Ministry vide its letter No. 5-3/2007-FC dated 05.02. 2009. The requisite funds shall be transferred through online portal into CAMPA account of the State Concerned;
  - v. The Copy of approved Catchment Area Treatment (CAT) Plan shall be submitted and the commensurate cost of CAT plan shall be deposited in the CAMPA account through online portal;
  - vi. The cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department;
  - vii. The identified non-forest land for raising compensatory afforestation shall be transferred and mutated in the name of forest department and notified as Reserved Forest /Protected Forest prior to Stage-II approval. A copy of the original notification declaring the non-forest land under Section 4 or Section 29 of the Indian Forest Act, 1927, or under the relevant section of the State Forest Act as the case may be, will be submitted by the State Government prior to State-II approval;
  - viii. The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector;
  - ix. The State Government shall upload the KML files of the area under diversion and the accepted area for raising compensatory afforestation in the *E-green watch* portal of FSI, before handing over forest land to the user agency;
  - x. All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/ deposited in CAMPA account only through e-portal (<https://parivesh.nic.in/>). Amount deposited through other mode will not be accepted as compliance of the Stage-I clearance;
  - xi. The compliance report shall be uploaded on e-portal (<https://parivesh.nic.in/>).

**B: Conditions which need to be complied on field after handing over of forest land to the user agency by the State Forest Department but the compliance in form of undertaking is to be submitted prior to Stage-II approval:-**

- i. Legal status of the diverted forest land shall remain unchanged;
- ii. Forest land will be handed over only after required non-forest land in the project is obtained by the user agency;
- iii. At the time of payment of the Net Present Value (NPV) at the then prevailing rate, the User Agency shall furnish an undertaking to pay the additional amount of NPV, if so determined, as per the final decision of the Hon'ble Supreme Court of India;
- iv. The felling of trees shall be restricted to FRL-4 meter only. Number of trees to be removed shall be kept at barest minimum during the execution of the project;
- v. The R&R Plan shall be implemented as per the R&R Policy of State Government in consonance with National R&R Policy, Government of India before the commencement of the project work and implementation. The said R&R Plan will be monitored by the State Government/Regional Office of MoEF&CC along with indicators for monitoring and expected observable milestones;
- vi. The User Agency shall obtain the Environment Clearance as per the provisions of

8-20/2022-FC

1/51301/2023

After receipt of compliance report on fulfillment of the conditions mentioned above, the proposal shall be considered for final approval under Section-2 of the Forest (Conservation) Act, 1980. Transfer of forest land shall not be affected till final approval is granted by the Central Government in this regard.

Yours sincerely,



(Suneet Bhardwaj)

Assistant Inspector General of Forests

Copy to:

1. The PCCF (HoFF), Department of Forest, Government of Madhya Pradesh, Bhopal;
2. The Dy. DGF (Central), Regional Office, MoEF&CC, Bhopal;
3. The Nodal Officer (FCA), Department of Forest Government of Madhya Pradesh, Bhopal;
4. User Agency;
5. Monitoring Cell, FC Division, MoEF & CC, New Delhi for uploading on PARIVESH portal.